



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 ई०

आषाढ़ 30, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग-03

संख्या- 1869/IV(3)/2026-01(40)/2012

देहरादून, 21 जुलाई, 2026

अधिसूचना

प० आ०-65

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड 'घ' में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को जिला हरिद्वार की नगर पंचायत, रामपुर में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं:-

क्र० सं०	नाम/पता	नगर पंचायत का नाम
1.	श्री मछन्दर सैनी पुत्र श्री लाल्ला, रामपुर, हरिद्वार। 9084951609	नगर पंचायत, रामपुर
2.	मौ० अखलाख पुत्र मौ० इसमलाइल, रामपुर, हरिद्वार। 9837190780	
3.	श्री सोहन सिंह राणा पुत्र श्री बलजीत सिंह, रामपुर, हरिद्वार। 9045639599	
4.	श्री पप्पू पुत्र श्री बीर सिंह, रामपुर, हरिद्वार। 9528530408	

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार शुक्ल,

उप सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 40/आ०श०वि०/291-2026-100+100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।